

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : ६०/प्र०३० भवन/जोन-१/२०१२-१३ दिनांक १६/०४/२०१३

अनुमति-एवं (Revise)

यह अनुमति ३०३० नम् निवेदन तथा निलास अधिनियम १९७३ को गाँव ५ व १५ के उल्लंगत ई नामी है, किन्तु उच्च धर्म न समझा चाहिए कि उस मूलि के उल्लंगत में विषय पर प्रस्तावित संशोधित व्यवसायिक भवन भौतिक व्योकृत लिया जा सकता है इससे विज्ञ प्राप्त या किसी स्थानीय नियम या इसके स्थानीय अधिकारी या व्यापार आदान जर्म के प्रतिक्रिया क्रियान्वयन या विज्ञ वा लोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के प्रतिक्रिया जा रखागी ले विलद कोई उन्नाट न रखेगी।

श्री प्रियांशु यायला य सोनिया चावला द्वारा भवन संख्या-WW/A/3 शिविल रखेशन, बंगला नं० १८ शरदार पटेल गार्ड, इलाहाबाद जोन संख्या (१) के उल्लंगत संशोधित व्यवसायिक भवन निर्माण की अनुमति हेतु दर्शित धर्म गानपत्र के प्रस्तावित भाग पर नियम को अनुसार नियमांकित प्रतिक्रिया के अधीन प्रदान की गयी है:-

१. ३०३० नम् नियोजन एवं दिलास अधिनियम १९७३ की गाँव ५ व १५ (१) के प्राधिकारी के उल्लंगत धर्म पर प्राप्त होने के प्रत्यक्ष ही उल्लंगत/आधिकारी के विज्ञ या विकास उन्नाट विषय पर विविध संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रतिक्रिया पूर्ण यह सूची प्राप्त होना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अनंत्रिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। नियम पूर्ण होने के उपरान्त श्री अम्बेल मॉनिटरिंग कार्यालय/N.O.C की शर्त पूर्ण होने के प्रबाल, नियंत्रित किये जाने वाले 'पूर्ण प्रमाण एवं' प्राप्त होने के बाहर ही इस प्रतिक्रिया को वापर वेळ सुनिवार में लेना जा सकेगा।
३. उल्लंगत ४X3 शिविल या दृष्टि द्वारा लगातार लीकृति सम्बन्धी दियरण अंतिम बरना होगा।
४. उल्लंगत ०५ अद्य वृक्ष उगाने होगे तथा तुड़ों को छार-भार रखने का दृष्टिव आवेदक का होगा।
५. ऐनलाइन हार्डवरिंग का कार्य गान्डी नामक ले अनुसार पूर्ण क्रांति क्रांति भू-गांग जल खोड़े खाप्ट एंड्रियो लिंगाइ दिवाने द्वारा उल्लंगत प्रपत करने आवश्यक होगा, इसके बाहर ही एप्पलीकेशन अप्पलूल किया जायेगा।
६. प्रस्तुत संशोधित नामांकित की स्वीकृति बेरेन्ट में धर्मिक कार नार्किंग Double Tier गूल पर अंपेन में पर्किंग लाइट शॉप, इथम एवं हाईटी ताजे पाल/रो-लम का नियमण + गाँवी जा नियमण शान्तमन्य किया जाना है।
७. नियंत्रित नामांकित में जोड़े दाय होने उल्लंगत लोगों की स्वीकृति मन्नीय न्यायालय ले नियंत्रित के अधीन होनी, खालीव भूमध्यी किसी भी चैलांग उर नामेन्ट एवं नियम सनदा जायेगा।
८. यदि अवैधक द्वारा जोड़े महावृष्टि द्वारा नियंत्रित रही है अथवा गलवान सूचन दी गयी है हो ताकि नम् नियोजन एवं दिलास अधिनियम १९७६ की गाँव १५ (१) व अन्तर्गत नामांकित नियम सनदा योग्य होगा।
९. १०- नियंत्रित से यदि नामी के उल्लंगत की पट्टी अधिक आवश्यक या नामी हो दिसी भाग (जो नाम के उपादान के अधारा उल्लंगत का आवश्यक या नामांकित करने के बाहर हो रहा है) वे नामी पहुँचे हो तो उल्लंगती दियरण हो जाने पर १५ दिन के अन्तर्गत उल्लंगत यदि नियम सनदा द्वारा और इन्हीं कहा हो पहले ही तरीके से नरमत करकर पूर्णता अवश्य नियम संवित्र विकास नार्किंग को रान्नोष्ट हो जाय गे तरीके से।
११. यह नियम दे समय उल्लंगत वाले धर्म उल्लंगत होगा कि भारतीय नियम इंडियन इलेक्ट्रोनिकी लल्या १९८५) नैयं ०२ का उल्लंगत किसी भी द्वारा ने न होना य हिंदू धर्म विकास नार्किंग की जानकारी में ऐसे गांगले पाये जाये तो यह रेसे नियम को योग्य अध्यव होता सकता है।
१२. यदि भूल-स्वर्ग का उप-विकास लायला पर्क एवं शोर-दूर्यादि या अतिक्रम विकास कर्ता द्वारा किया जाता है तो इन्हीं द्वारा नियम सुनार उल्लंगत नाम नियोजन एवं वेकार अधिनियम १९७३ की सुनारत धारओं के अन्तर्गत की विद्यमानी की लायेगी।
१३. आदेश के नियमानुसार विकास प्रतिक्रिया को नकास की गई तल तथा अव वाक ५० दाने एवं उल्लंगत दूर्घट हो जाने की सूचना भाकान आवाद होने से पूर्ण देना होगा तथा यह अपनी जा नाम गी देना होगा जिसके नियोजन में गांगल विनिर्देश होता है।
१४. यदि नियम में मार्ट्टर एला के उल्लंगत होता पाया जाया हो तो नियमांकित का दी गई स्वीकृति रास उल्लंगत जायेगी और किया जाय नियमानुसार अनप्रियकृत धोमित कर उल्लंगत अधिनियम की गाँव २७ (१) दे अन्तर्गत नार्किंग की अपेक्षा।

(द्वारा द्वारा द्वारा)
सुनारत सचिव/प्र०३०-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,

परिशिष्ट-6

भाग-द

((प्रपत्र-'ब') पृष्ठ 4/4)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

विकास प्राधिकरण की अस्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :

श्री विशाल चावला एवं श्रीमती सोनिया चावला द्वारा साइट नं-WWWA/3 का जुलूस भाग, फ्लाट नं-८ रारदार पटेल मार्ग इलाहाबाद पर निर्मित लदशाधिक भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रनाण पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के थाकर अभियन्ता श्री जितेन्द्र नोहन सिंह, सालायक अभियन्ता श्री नानपेन्द्र सिंह तथा मुख्य नगर नियोजक श्री पीतलेन्द्र रौतंकी द्वारा कर लिया गया है। इच्छा पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा रवीकृत शमन गान्धीन्द्र परागित रां०-११३/प्र०४०(त०स०-२) / जान०-१/२०१४ १५ दिनांक १८.०५.२०१५ के अनुरूप स्त्री पाणी गया गया है। उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उपग्रो शासन, अल्लापुर, इलाहाबाद, अधिकारी अभियन्ता—भुगर्भ ज़िला विभाग खण्ड-यांत्रिक (शिवार्द विभाग) इलाहाबाद, गुजरात अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद तथा आकिटेक द्वारा प्रस्तुत अग्निलेखों को राज्ञान गे लेते हुए उपाध्यक्ष गहोदय के अनुग्रहेन ज्ञादेश दिनांक १६.०३.२०१६ के क्रम में उपग्रो नगर नियोजन एवं विकास अधिकारीयम '९७३ जी शासा इक(२) के शान्तिगत पूर्णता प्रनाण पत्र जारी किया जाता है। रूपीकृत मानविक्र में आशोषित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में वी गयी अनुशः समाज मारी जायेगी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जी अनापत्ति पत्र रां०-२०१६/१९१००/इला०/१७३/सैंफॉलो दिनांक २०.२.२०१६ में अकिल प्रतिवन्दो का अशारसा अनुग्रहन करना होगा।

अग्निलेख जो राज्ञान गे लिये गये :-

1. अधिकारी, भूज० भूज०विभ०स०-य०० प्र०४०(त०स०-२) दिनांक २८.०८.२०१५
2. C.F.O. इलाहाबाद की अनापत्ति प्र०४०-२०१६/१९१००/इला०/१७३/C.F.O दिनांक २९.०२.२०१६
3. उपग्रहेशक वि.सु.उपग्रो शासन, प्र०४० ५७७(१)/उ०ग्रो/वि०सु०/२०४-१५ दिनांक २७.०१.२०१६
4. आकिटेक, सूरक्षकर इन्जीरो का प्रमाण-पत्र।

हस्ताक्षर
१५/०३/२०१६

पदनाम : जोनल अधिकारी/द्विवाहताय) प्र०४०(त०स०-२) विद्युत सुरक्षा
१५/०३/२०१६ विद्युत विभागीय
कार्यालय की गुहर १५.३.२०१६ इलाहाबाद

दिनांक : १५ मार्च, २०१६

पत्रांक : ११३/प्र०४०(त०स०-२)/C.C/२०१४-१५

०१ दिनांक : १५/०३/२०१६

ل.ع.خ.ا.
१५/०३/१६



